भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
मौखिक प्रश्न संख्या : 152
सोमवार, 4 अगस्त, 2025 (13 श्रावण, 1947, (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

अहमदाबाद विमान दुर्घटना की जांच में जल्दबाजी किया जाना

***152. श्री रामजी लाल सुमन:**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अहमदाबाद में 12 जून, 2025 को हुए एअर इंडिया के विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट पर विशेषज्ञों द्वारा कई सवाल खड़े किए गए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि एक विदेशी नियामक एजेंसी द्वारा इस बोइंग के बारे में पूर्व में एक सुरक्षा बुलेटिन जारी किया गया था जिसका अनुपालन देश में नहीं किया गया;

(ग) क्या पायलट एसोसिएशनों द्वारा इस शुरूआती जांच रिपोर्ट का विरोध किया जा रहा है; और

(घ) क्या एयर इंडिया की उड़ान को दुर्घटनाग्रस्त करने की कोई साजिश रची गई थी?

उत्तर

नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"अहमदाबाद विमान दुर्घटना की जांच में जल्दबाजी किया जाना" के संबंध में श्री रामजी लाल सुमन द्वारा पूछे गए दिनांक 04.08.2025 के राज्य सभा मौखिक प्रश्न संख्या 152 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ) वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (एएआईबी), विमान (दुर्घटनाओं और घटनाओं की जाँच) नियमावली, 2017 और अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) के मानकों और अनुशंसित परिपाटियों के एनेक्स 13 के अनुसार दुर्घटनाओं और गंभीर घटनाओं की जाँच करता है। इन नियमों के तहत सभी अन्वेषण एनेक्स 13 के प्रासंगिक मानकों का पालन करते हुए निष्पक्ष, उचित और न्यासंगत तरीके से किए जाते हैं।

एएआईबी द्वारा दुर्घटना पर एक प्रारंभिक रिपोर्ट दिनांक 12.07.2025 को प्रकाशित की गई है और यह उनकी वेबसाइट www.aaib.gov.in पर उपलब्ध है। यह रिपोर्ट उस समय उपलब्ध तथ्यात्मक जानकारी के आधार पर तैयार की गई है और इसमें किसी निष्कर्ष का उल्लेख नहीं है।

जाँच जारी है और इसमें दुर्घटना के संभावित कारण(कारणों)/योगदायी कारक(कारकों) का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं की जांच-पड़ताल की जाएगी। किसी दुर्घटना या घटना की जाँच का एकमात्र उद्देश्य दुर्घटनाओं और घटनाओं की रोकथाम होगा, न कि दोष या दायित्व का निर्धारण करना।

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने विमानों के सुरक्षित परिचालन और अनुरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक नागर विमानन विनियम स्थापित किए हैं। इन विनियमों को निरंतर अद्यतन किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों, जिनमें आईसीएओ और यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी (ईएएसए) मानक भी शामिल हैं, के अनुरूप बनाया जाता है। नागर विमानन महानिदेशालय समय-समय पर आईसीएओ मानकों के अनुसार अपने विनियमों में संशोधन करता है।

इन विनियमों के अंतर्गत, प्रचालकों को विनिर्माताओं द्वारा जारी दिशानिर्देशों, जैसे सर्विस बुलेटिन, उड़नयोग्यता निर्देश (एडी) और अनुरक्षण योजना दस्तावेज़ (एमपीडी) का पालन करना आवश्यक है।

प्रभावी सुरक्षा निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, नागर विमानन महानिदेशालय ने एक संरचित निगरानी और ऑडिट फ्रेमवर्क लागू किया है।

******